



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 29.05.2025

- ❖ थाना शिवली पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के खाते में कुल धनराशि ₹ 60,920/- को वापस कराया गया।
- ❖ अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक (रिटायर्ड बैंक कर्मचारी) से आधार कार्ड व मो0न0 ले जाकर आवेदक की सिम पोर्ट करा लेना व आवेदक बैंक खाते में मौजूद धनराशि को निकालकर साइबर धोखाधड़ी की गयी।
- ❖ शिकायतकर्ता द्वारा 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करायी।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीशचन्द्र के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध निवारण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता श्री सियाराम पुत्र स्व0 ननकू निवासी ग्राम फन्दा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के साथ दिनांक 24.03.2025 से 28.03.2025 के मध्य साइबर ठगी की घटना कारित हुयी, जिसमें आवेदक के घर अज्ञात व्यक्ति आकर बताया कि मैं ब्लाक से सर्वे के लिए आया हूँ अपना आधार कार्ड और मोबाइल नम्बर दे दो, साइबर ठग के द्वारा आवेदक का मोबाइल नम्बर पोर्ट कराकर आवेदक के खाते से 60,920/- रुपये निकालकर साइबर धोखाधड़ी की गयी। जिसकी शिकायत आवेदक के द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर दिनांक 04.04.2025 को दर्ज करायी गयी। जिस पर त्वरित जांच एवं कार्यवाही करते हुए थाना शिवली पुलिस (साइबर सेल हेल्प डेस्क) द्वारा शिकायतकर्ता की सम्पूर्ण धनराशि ₹ 60,920/- खाते में वापस कराये गये। पुलिस की त्वरित कार्यवाही से शिकायतकर्ता ने थाना शिवली जनपद कानपुर देहात पुलिस का धन्यवाद दिया।

खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

वापस करायी गयी धनराशि-

₹60,920/-

धनराशि वापस कराने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री हरमीत सिंह
2. म0का0 1261 प्रीति सोनकर